संख्या- 81/2252/बयालिस-2015-198(विविध)/2012टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विषय- जनपद-झाँसी के ध्यानचन्द्र स्टेडियम में हाकी एस्ट्रोटर्फ का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0- 643/नि0 झाँसी स्टे0 पत्रा0 /2015-16, दिनांक 10.09.2015, एवं शासनादेश 2372/बयालिस-2014-198(विविध)/2012टी0सी0 दिनांक- 14 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद-झाँसी के ध्यानचन्द्र स्टेडियम में हाकी एस्ट्रोटर्फ का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0- 623.53 लाख (रू0 छः करोड़ तेईस लाख तिरपन हजार) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 623.53 लाख (रू0 छः करोड़ तेईस लाख तिरपन हजार) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- कार्यो को पूर्णगुणवत्ता/मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- शासनादेश सं0- 2372/बयालिस-2014-198(विविध)/2012टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेगें।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा,खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-05-झॉसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण एवं भवनों का जीर्णोद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 , दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 81/2252(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, झॉसी।
(5)- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, झॉसी।
(6)- परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in